



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 16 (सोलह) माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-796/2017 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भरतू उर्फ भरत पुत्र सोहनलाल नि0 परापातर थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को दोष सिद्ध करते हुए 16 (सोलह) माह का कारावास व ₹5,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी प्रवीण सिंह  
भदौरिया



विवेचक-  
उ0नि0 गोपाल  
अवस्थी



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव